362

470

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा. म0प्र0

R-380-I/13

1- प्राणनाथ पिता स्व. मदनचन्द्र केशरवानी साकिन बिलौंजी, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0,

2- बलरामदास पिता स्व. श्री मदनचन्द्र केशरवानी साकिन बिलौंली, तहसील व जिला सिंगरौली, म0प्र0,

3- मुस. राजदुलारी पुत्री स्व. मदनचन्द्र केशरवानी, निवासी पटेल पुल के पास सीधी, जिला सीधी म0प्र0 —— -- निगरानीकर्तागण

बनाम

1- हरघूराम पिता स्व. मदनचन्द्र केशरवानी निवासी हनुमना, जिला रीवा, म0प्र0,

2- श्रीमती राजकुमारी पुत्री स्व. मदनचन्द्र केशरवानी पत्नीशशि मोहन केशरी, निवासी ग्राम गनियारी, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0,

----- गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश माननीय कलेक्टर महोदय, जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरण क्र. 53/निगरानी/2010-11, आदेश दिनांक 12.12.2012.

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई. ।

==

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यह कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानी की सुनवायी करते समय

XXXIX(a)-BR(H)-11

(362)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–380–I/2013** जिला–सिंगरौली

प्राणनाथ केशरवानी/हरषूराम केशरवानी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनूपदेव पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 53/निग0/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	